Case No. 418/2021

Witness No.(1) For -.....परिवादी स्वयं.....Deposition taken the 08-01-2026 day of ..... गुरूवार..... Witness's apparent age -57 वर्ष State on affirmation.....शपथपूर्वक.....My name is –प्रमोद महोबिया Son of - स्व. राघवराम महोबिया Occupation – कपड़ा व्यवसाय Address- ग्राम वार्ड क्रमांक 02 छुईखदान, तहसील–छुईखदान, जिला के.सी.जी.(छ.ग.)

———————————————————————————————

साक्षी का शपथपूर्वक कथन अंतर्गत धारा 145 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अधीन पूर्व में दिनांक 23.08.2021 को पेश किया गया है, जिसकी कंडिका 1 से 8 मेरी जानकारी अनुसार सही व सच है।

टीप :– आज दिनांक 08.01.2026 को परिवादी साक्षी को दस्तावेजों की ग्राह्यता के संबंध में शपथ दिलाकर मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री आर.के. महोबिया अधिवक्ता वास्ते परिवादीः–

09. मैने अपने परिवाद के समर्थन में आरोपी पंचम राम चंदेल द्वारा प्रदत्त देना बैंक शाखा छुईखदान जिला–के.सी.जी. (छ.ग.) का चेक क्र. 242563 दिनांक 20.05.2021 राशि 45,000/– (अक्षरीः–पैंतालिस हजार रूपये मात्र) का पेश किया हूं, जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूं जो **प्र.पी. 1** है। बैंक की जमापर्ची **प्र.पी. 2** है।

10. मैंने उक्त चेक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा छुईखदान में कलेक्शन (संग्रहण) हेतु पेश किया था, जहां से दिनांक 30.06.2021 को आरोपी के खाते में अपर्याप्त निधि होने से उक्त चेक डिसऑनर कर मय ज्ञापन सहित मुझे वापस कर दिया, उक्त ज्ञापन **प्र.पी. 3** है।

11. आरोपी को प्रेषित वैधानिक सूचना पत्र दिनांक 28.07.2021 पेश किया हूं, **प्र.पी. 4** है। आरोपी को प्रेषित पंजीयन सूचना पत्र की डाक रसीद दिनांक 28.07.2021 **प्र.पी. 5** है। अभिस्वीकृति **प्र.पी. 6** है।

12. मैंने आरोपी के विरूद्ध परिवाद उसके द्वारा दिए गए चेक के अनादरित होने एवं चेक की राशि का भुगतान मुझे प्राप्त नहीं होने के कारण प्रस्तुत किया हूं। मुझे

आरोपी के विरूद्ध उचित कार्यवाही कर चेक राशि का दोगुना जुर्माना लगाकर चेक राशि दिलायी जावें एवं आरोपी को फर्जी चेक कांटने के लिए कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

मुख्यपरीक्षण समाप्त।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मनोज चौबे अधिवक्ता वास्ते आरोपीः–</u>

13. यह कहना सही है कि बाजार लाईन छुईखदान में मेरी कपड़े की दुकान है। यह कहना गलत है कि मेरे नाम से साहूकारी लाइसेंस है। यह कहना गलत है कि मैं लोगों को ब्याज में गिरवी रखकर पैसे देने का काम करता हूं। यह कहना गलत है कि लोगों को ब्याज में पैसे देने के पूर्व मैं उनसे सुरक्षार्थ कोरे चेक ले लिया करता हूं।

14. यह कहना सही है कि मैंने अपने परिवाद में आरोपी द्वारा ई–रिक्शा का इंजन खराब होने के संदर्भ में पैसे देने की बात लिखी है, उस संबंध में मैंने ई–रिक्शा की कोई दस्तावेज नहीं देखे थे और न ही उसके संबंध में कोई दस्तावेज इस प्रकरण में संलग्न किया हूं। यह कहना गलत है कि आरोपी के पास कोई ई–रिक्शा नहीं है इसलिए ऐसा कोई दस्तावेज मैंने इस मामले में पेश नहीं किया है।

15. यह कहना सही है कि आरोपी से मेरा कभी पुराना लेन–देन नहीं रहा है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपका और आरोपी की पहचान नहीं रही है इस पर साक्षी का कहना है कि मैं उसे पहचानता हूं। यह कहना सही है कि आरोपी इससे पूर्व मुझसे कोई उधारी की रकम नहीं ले गया है। यह कहना गलत है कि आरोपी मुझसे मेरे कपड़े की दुकान से उधारी में कपड़े ले जाता है।

16. यह कहना गलत है कि उधारी कपड़े लेने के एवज में मैंने उससे सुरक्षार्थ चेक ले लिया था और उसका गलत उपयोग कर यह परिवाद मैंने पेश कर दिया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि चेक में पंचम लिखा हुआ है और अभिस्वीकृति में पंचम लिखा है वह अलग–अलग है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी. 1 के चेक में फर्जी रूप से पंचम लिख दिया गया है। यह कहना गलत है कि चेक में दर्शित मेरा नाम और राशि मेरे द्वारा फर्जी रूप से भरकर पेश कर दिया गया था।

17. यह कहना गलत है कि अभिस्वीकृति प्र.पी. 6 में आरोपी के नाम के नीचे तारीख मेरे द्वारा डाली गयी है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि कथित रूप से आपको आरोपी ने दिनांक 20.05.2021 को चेक दे दिया था तब उसे दिनांक 30.06.2021 को संग्रहण हेतु प्रस्तुत करने की क्यों आवश्यकता हुयी, इस पर साक्षी का कहना है कि आरोपी के द्वारा बीच में पैसे दे देने की बात कही गयी थी।

18. यह कहना गलत है कि आरोपी के द्वारा कपड़े खरीदी के एवज में दिए गए सुरक्षार्थ चेक का मैंने दुरपयोग करते हुए और उसमें 45,000 रूपये की राशि भरकर पेश कर दिया है। यह कहना गलत है कि आरोपी ने मुझे उधारी राशि के पेटे कोई चेक नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि आरोपी को पंजीयन सूचना पत्र की प्राप्ति नहीं हुयी है। यह कहना गलत है कि अभिस्वीकृति में उसके फर्जी हस्ताक्षर कर और उस पर तारीख डालकर परिवाद प्रस्तुत करने के लिए झूठा परिवाद मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

19. यह कहना सही है कि आरोपी द्वारा कथित रूप से दिए गए चेक का क्रमांक मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि पंजीयन सूचना पत्र किस दिनांक को भेजा गया इसकी तारीख भी मैं आज नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैं बहुत से लोगों के कोरे चेक उनके हस्ताक्षर कराकर रख लेता हूं और उसमें अधिक राशि भरकर उन लोगों के खिलाफ झूठे परिवाद पेश करता हूं। यह कहना सही है कि पूर्व में मेरे और परिवाद पेश किए थे।

प्रतिपरीक्षण समाप्त।

टीपः— पुनः परीक्षा— कुछ नहीं।
पुनः प्रतिपरीक्षण कुछ नहीं।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

(ईशान व्यास)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
छुईखदान, जिला के.सी.जी.(छ.ग.)

मेरे निर्देशानुसार
टंकण किया गया।

(ईशान व्यास)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
छुईखदान, जिला के.सी.जी.(छ.ग.)